

रघुनन्दन हौसला बक्श अभय सिंह लॉ कॉलेज

हरैय्या, कोथावां, सण्डीला (हरदोई)

पत्रांक :

दिनांक 14/07/2025

सेवा में,

कुलसचिव,

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

विषय - रघुनन्दन हौसला बक्श अभय सिंह लॉ कॉलेज में विधि त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्राचार्य एवं असि० प्रो० के पद पर चयन हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विज्ञापन अपलोड कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय, आपके पत्र संख्या R/586/सम्ब.अनु./2025, दिनांक 20/06/2025 द्वारा महाविद्यालय रघुनन्दन हौसला बक्श अभय सिंह लॉ कॉलेज को प्राचार्य एवं मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन प्राप्त करने का आदेश दिया गया है। जिस हेतु निर्धारित शुल्क 1,65,200 (एक लाख पचास हजार पैसे) (जी०एस०टी० सहित) जमा कर दिया गया है। विधि त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में असि० प्रो० एवं प्राचार्य पद पर चयन हेतु दिनांक 27.06.2025 को महाविद्यालय द्वारा दैनिक समाचार पत्र सूचना संसार एवं राष्ट्रीय प्रस्तावना में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि उक्त विज्ञापन को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। धन्यवाद !

संलग्नक- 1. माननीय कुलसचिव द्वारा निर्गत पत्र की छायाप्रति ।

2. प्रबन्ध समिति तथा प्राचार्य एवं मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन हेतु निर्धारित शुल्क की रसीद की छायाप्रति ।

3. विज्ञापन की छायाप्रति (दिनांक 27/28/29-06-2025)

प्रबन्धक

CS (All India) Inching Website
RM
14.7.25

Sushmita Singh
(सुष्मिता सिंह)

प्रबन्धक

रघुनन्दन हौसला बक्श अभय सिंह लॉ कॉलेज
हरैया, कोथावां, हरदोई।

प्रदेश के कृषि छातकों हेतु स्वरोजगार का सुनहरा अवसर

राष्ट्रीय प्रस्तावना

हरदोई। जिला कृषि अधिकारी ने बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा कृषि छातकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि निवेश के साथ साथ कृषि प्रसार सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित

है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले बेरोजगार जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा कृषि व्यवसाय प्रबन्धन उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन, जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों से डिग्रीधारी हैं, जो आईओसीओएओ/ यूओसीओसीओ द्वारा मान्यता प्राप्त हों, पात्र होंगे, आयु 40 वर्ष से अधिक न हो, अनुसूचित

जाति, जनजाति एवं महिलाओं को आयु में अधिकतम 05 वर्ष की छूट। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन आवेदन कृषि विभाग की विभागीय वेबसाइट पर कर सकते हैं। आवेदन करने की अन्तिम तिथि 20 जुलाई, 2025 निर्धारित है। अभ्यर्थी का चयन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। चयन होने पर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटोज) के द्वारा निःशुल्क 13 दिवसीय उद्यम स्थापना एवं संचालन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा। एग्रीजंक्शन केन्द्र की स्थापना हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत 5.00 लाख ऋण पर अग्रिम ब्याज अनुदान अधिकतम 60,000 हजार रु० (बैंक इण्डेड सब्सिडी के रूप में) की सहायता। बैंक ऋण स्वीकृत 5.00 लाख से कम होने की दशा में अग्रिम ब्याज अनुपातिक रूप से कम होगा। योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उप कृषि निदेशक कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

सूचना

रघुनन्दन हौसला बक्स अमय सिंह लॉ कॉलेज,

पता-हरैया कोथावां हरदोई में विधि त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु प्राचार्य एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की आवश्यकता है योग्यता एवं वेतन यूजीसी तथा बार काउंसिल आफ इंडिया के मानक अनुसार। आवेदन करें शीघ्र।

मोबाइल नंबर. 8081366777

रघुनन्दन हौसला बक्स अमय सिंह लॉ कॉलेज
हरैया, कोथावां, हरदोई।

एआरटीओ ने किया 94
हरदोई (राष्ट्रीय प्रस्तावना)। सहायक स
अरविन्द कुमार सिंह ने जनपद में बिना पु
परमिट, प्रदूषण नियन्त्रण) संचालित एवं
लेकर चलने वाले वाहनों का चालान किया
लोड वाहन, मोबाइल ड्राइव करते वाहन
लगाने तथा बिना हाई सिक्वोरिटी नम्बर
किये। उन्होंने समस्त वाहन चालकों से अन
करा कर वाहन का संचालन करें बिना
संचालन करने पर कड़ी कार्यवाही की
कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।

परिषदीय स्कूल विलय व आज करेंगे विरोध

हरपालपुर (हरदोई) (राष्ट्रीय प्रस्तावना)
विरोध में जूनियर शिक्षक संघ धरना प्रदर्शन
शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपेगा। जूनियर
अध्यक्ष सूर्यकान्त पाठक ने बताया कि संगठन
पर प्रदेश सरकार की नीतियों विद्यालय मज
जून को ब्लॉक संसाधन हरपालपुर में धरना
ज्ञापन खण्ड शिक्षा अधिकारी को सौंपा
अधिनियम 2009 के तहत देश के प्रत्येक ब
का मौलिक अधिकार है। राज्य सरकार का प्र
ग्राम में प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित व
प्राथमिक विद्यालयों को अत्याधुनिक व
सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों को बन्द
जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ विद्यार्थियों
है और शासनादेश को निरस्त कराने तब
विरोध जारी रखेगा।